AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

पेट्रियाट एक्ट – [PATRIOTA] 2001 – एक श्रेष्ठ आतंकवाद निरोधक

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. संगीता शर्मा
सहायक प्राध्यापक
विधि विभाग
ग्वालियर विधि महाविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध सार

किसी भी प्रभावी आतंकवाद निरोधक कानून को प्रतिस्थापित करने एवं उसका श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए कानून का उचित मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य होता है एवं जब इस कानून की अंतर्राष्ट्रीय विश्वनीयता एवं सार्थकता का प्रश्न हो तो वहाँ कानून का अन्य राष्ट्रों के कानून के तुलानात्मक अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। भारतीय आतंकवाद निरोधक कानून की सार्थकता एवं प्रासांगिकता का मूल्यांकन करने के लिए हमें विभिन्न राष्ट्रों में प्रचलित आतंकवाद निरोधक कानूनों का अध्ययन करना आवश्यक है। इस कड़ी में हमं प्रमुख रूप से विकसित राष्ट्रों अमेरिका ब्रिटेन एवं चीन तथा हमारे कट्टर प्रतिद्वंदी राष्ट्र पाकिस्तान एवं खाड़ी राष्ट्रों के आतंकवाद निरोध कानून का संक्षिप्त विश्लेषण करना भी आवश्यक है।

मुख्य शब्द

भारतीय कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी आतंकवाद निरोधक कानून, आतंकवाद निरोधक कानून.

संयुक्त राज्य अमेरिका – द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा अमेरीका 1991 में सोवियत संघ के विघटन से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और यूएनओ में शक्ति संतुलन स्थापित नहीं रह सका। परिणामस्वरूप अमेरिका लगभग समस्त विश्व में सभी मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, ऐसी स्थिति में अमेरीकी नीतियों से असहमत इस्लामिक संगठन अलकायाद के फिलादीन (आत्मघाती हमलावर) ने दिनांक 11 सितंबर 2009 को प्रातः 8.45 से 10.28 के बीच जिनकी संख्या 19 थी मिलकर 4 वाणिज्य यात्री चेटवायु यानों का अपहरण कर लिया गया तथा दो विमानों को न्यूयार्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्रवीन टावर्स के साथ टकरा दिया फलस्वरूप दोनों विमानों में विमानों में सवार सभी व्यक्ति एवं दोनों भवनों के अंदर स्थित सभी लोग मारे गए भवनों के आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। फिलादीनों ने तीसरे विमान को वांशिगटन डीसी के बाहर वर्जिर्निया में पेंटागन से टकरा दिया तथा चौथे विमान को उड़ान चालक दल से हुई छीनाझपटी में विमान सेंग्सविले नामक के गांव के पास खेत में क्रेश हो गया। चारों ही विमानों में कोई भी जिंदा नहीं बचा।

इस हमले में सभी 19 फियादीनों को मिलाकर लगभग 1200 से अधिक व्यक्ति मारे गये तथा 6000 से अधिक घायल हुए इन मारे गये व्यक्तियों में विभिन्न 70 राष्ट्रों क नागरिक सम्मिलित थे।

यह वह समय था जब संयुक्त राज्य अमेरीका ने विवेचना में जब यह पाया कि ओसामा–बिन लादेन के नेतृत्व में आतंकी संगठन अलकायदा द्वारा यह घटना की गई तो अमेरीका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करके

तालीबानी शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से अफगानिस्तान पर 7 अक्टूब7र 2001 आक्रमण कर दिया साथ ही अमेरीका ने आतंकवाद निरोधक कानून यूएसए पेट्रियाल एक्ट बना दिया।

तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अमरीकी कांग्रेस के पास कराकर 26 अक्टूबर को पेट्रियट एक्ट आंतकवाद निरोधक कानून के रूप में लागू कर दिया। इसका विस्तृत नाम है – Providing Appropriate tools required to intercept and abstruct terrorism act 2001 (patriota).

इस एक्ट की प्रमुख विशेषता यह थी कि इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार को अमेरीकी और समस्त विश्व में आतंकवादी घटनाओं को रोकने, आतंकियों को दण्डित करने के साथ–साथ आतंकी हमलों को रोकने के लिए किये जाने वाले समस्त कार्यों को करने के अधिकार दे दिये गये। इस कानून को उपनाम देशभक्ति अधिनियम भी रखा गया। इस कानून के द्वारा संघीय जाँच ब्यूरो FBI को बिना किसी अदालत के आदेश के टेलीफोन, ईमेल, वित्तीय रिकार्ड, व्यवसायिक रिकार्ड अथवा पुस्तकालय की जांच का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के द्वारा शीर्ष सरकारी एजेंसियों को अमरीकी और गैर–अमरिकी दोनों ही नागरिकों की खुफिया जानकारी उनकी बिना अनुमति के प्राप्त किये जाने का अधिकार दिया गया। सहकारी एजेंसियों को यह भी अनुमति दी गई कि वे शंका होने पर किसी भी अमेरीकी अथवा विदेशी व्यक्ति के समस्त इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों की जानकारी ज्ञात करने के साथ IP ऐड्रेस, भुगतान की विधि, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड का नम्बर आदि जैसी समस्त व्यक्तिगत जानकारियों को जांच में सम्मिलित कर सकते हैं।

इस अधिनियम के द्वारा ही एन्टी–मनी–लाड्रिंग की रोकथाम करने के लिए दो उप एक्ट बनाए गए ये थे। मनी लॉड्रिंग कन्ट्रोल एक्ट (MLCA) और बैंक सिक्योरीटी एक्ट (BSA) इस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान दिाय गया कि किसी भी ग्राहक की अनुमति के बिना ही उसके वित्तीय लेनदेन की जांच की जा सकती है और साथ ही इस एक्ट ने यह अधिकार भी दिया कि किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने पर अमेरिकी अथवा विदेशी व्यक्ति की सम्पत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। 2005 में पेट्रियोट एक्ट के अंतर्गत येहूदा अब्राहिम के खिलाफ ब्रिटिश हथियार डीलर हरमंत लखानी के लिए धन हस्तान्तरण की व्यवस्था की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया, क्योंकि लखानी ने एक मिसाइल को सुमाली के आतंकवादी को बेचने की कोशिश की थी। येहूदा अब्राह्म को 20 वर्ष तकी सजा दी गई।

इस अधिनियम के अंतर्गत ही यह व्यवस्था भी की गई कि अटार्नी जनरल के परामर्श से कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी आतंकी संगठन के नेता की पहचान करता है अथवा कोई भी सम्भावित या वास्तविक हमले की अथवा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कम्प्यूटर धोखाधड़ी, एक्सेस डिवाइस धोखाधड़ी, झूठी पहचान, दस्तावेजों या उपकरणों के उपयोग की कोशिश करना आदि इस प्रकार की जानकारी दी जाती है तो उसे 5 मिलिनयन यूएस डालर तक का पुरस्कार अटार्नी जनरल द्वारा दिया जा सकता है।

इस एक्ट के द्वारा बड़े पैमाने पर जल, थल अथवा वायु सभी प्रकार के परिवहन प्रणाली की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिवहन संचालन करने वाली एजेंसी का निर्धारित कर दिया गया। यदि किसी भी स्थिति में यह पाया जता है कि अमेरीका में घटना करने वाला व्यक्ति उस एजेंसी के सहारे अमेरीका में प्रवेश हुआ या प्रवेश का प्रयास किया है तो ऐसी स्थिति में एजेंसी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले से बचने के लिए राष्ट्रीय आभाषी अनुवाद केंद्रों की भी स्थापना की गई जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध परिस्थिति की जानकारी खुफिया एजेंसी को देगा तथा पावती लेगा और यदि उस सूचना पर खुफिया एजेंसियों द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में एजेंसी के अधिकारी व कर्मचारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सजा के पात्र होगें।

पेट्रियोट एक्ट की कुछ धारायें समय के साथ समाप्त भी की गई हैं, जैसेः

1. PA 2001 मौखिक और इलेक्ट्रानिक 202, 203 (इ) संचार को वांछित करने का अधिकार 2004 समाप्त किया गया।

2. PA 206 USC 1805 (c) (2b) निगरानी प्राधिकरण का विदेशी खुफिया जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इसके उपरान्त निगरानी प्राधिकरण को अमेरीकी सीमाओं के अन्दर ही निगरानी करनी है यह 15 फरवरी 2019 को वापस लिया गया है।

1 जून 1015 को पेट्रियोट एक्ट का नाम बदलकर USE freedom Act रख दिया गया था, किन्तु 8 फरवरी 2019 से उसका नाम पुनः पेट्रियोट एक्ट रख दिया गया है।

अमेरिका ने अपने यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला होते ही एक मजबूत और व्यापक प्रभावी आतंकवाद निरोधक कानून पेट्रियोट एक्ट की स्थापना की एवं तब से आज तक अमेरीका में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि हुई अथवा होने की कोशिश की गई है, सभी में पेट्रियोट एक्ट के तहत ही विशेष फास्ट्रेक कोर्ट में त्वरित सुनवाई करते हुए गंभीर सजायें सुनाई गई है। यहाँ यह बात सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि अमेरीकी प्रशासन की नीतियाँ सदैव से एक देश एक कानून सबके लिए एक समान पर आधारित रही है। पेट्रियोट एक्ट अमेरीकी राष्ट्रपति को छोड़कर सभी के लिए एक समान है, चाहे वह निजी उपकरण हो अथवा सरकारी उपक्रम हो।

यह कानून सुगमता से त्वरित न्याय करने के लिए बेहतर परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है तथा जाँच एजेसियों व विवेचना अधिकारियों को वह विभिन्न धाराओं में से कौन सी धारा को चार्जशीट में लेना है यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात् एक देश एक कानून के रूप में सफल कार्य कर रहा है तथा त्वरित न्याय भी प्रदान कर रहा है।

निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा पेट्रियोट एक्ट लागू किये जाने के उपरांत इसके सफल क्रियान्वयन को देखते हुये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि महाशक्तियों के साथ–साथ विभिन्न यूरोपिय राष्ट्रो द्वारा अपने–अपने देशों में कुछ आवश्यक संशोधन करने के उपरांत लगभग यही कानून अपने देशों में भी अतिशीघ्र लागू कर दिये।

भारत को भी इस बात पर विचार करना चाहिये की आतंकवाद निरोधक कानून के सफल उपयोग से ही आतंकवाद की समाप्ति की जा सकती है और जहॉ तक आतंकवाद निरोधक कानून की बात करे तो इसके अंतर्गत पेट्रियोट एक्ट के अनुरूप ही राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जॉच एजेसिंयो के पुछताछ/जॉच के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिये।

संदर्भ सूची

1. Majumdar, Nividita (2011) *The Other Side of Terror and Anthology of Writing,* ?Oxford University Press, Delhi.
2. Hipp, Van (2015) *The New Terrorism - How To Fight is and Defeat it,* Countinghouse Pr Inc.
3. Dixit, J.N. (2018) *Indias Foreign Policy Challenges of Terrorism,* Gyan Publishing House, Delhi.

––==00==––